नगर निगम, रूद्रपुर जनपद–ऊधमसिंह नगर की बोर्ड बैठक
दिनांक 24.08.2021 का कार्यवृत्त

बोर्ड बैठक/2021–22 दिनांक: 04.09.2021

आज दिनांक 24 अगस्त, 2021 को प्रातः 11:00 बजे नगर निगम, रूद्रपुर के सभागार में निगम बोर्ड की बैठक आहूत की गयी, जिसमें महापौर एवं निम्न पार्षदगण/सदस्यगण उपस्थित हुये–

क्र. सं.	नाम महापौर/पदेन सदस्य/वार्ड पार्षद	पदनाम	वार्ड नम्बर/पता
1.	श्री रामपाल सिंह	महापौर	नगर निगम, रूद्रपुर
2.	श्री राजेश शुक्ला (प्रतिनिधि श्री मनमोहन सिंह)	पदेन सदस्य	विधायक, विधानसभा–67, किच्छा
3.	श्री संजीव गुप्ता	सांसद प्रतिनिधि	सांसद, उधमसिंहनगर–नैनीताल
4.	श्री राजेन्द्र निषाद	पार्षद	वार्ड नं0 2, ट्रांजिट कैम्प पूर्वी
5.	श्री विधान राय	पार्षद	वार्ड नं0 3, ट्रांजिट कैम्प मध्य
6.	श्री सुशील मण्डल	पार्षद	वार्ड नं0 4, ट्रांजिट कैम्प पश्चिमी
7.	श्री निमित कुमार शर्मा	पार्षद	वार्ड नं0 6, जगतपुरा
8.	श्री कैलाश राठौर	पार्षद	वार्ड नं0 7, आजादनगर
9.	श्री शिव कुमार गंगवार	पार्षद	वार्ड नं0 8, विवेकनगर
10.	श्री मोहन कुमार	पार्षद	वार्ड नं0 9, शिवनगर
11.	श्रीमती किरन राठौर	पार्षद	वार्ड नं0 10, राजा कालोनी/ठाकुर नगर
12.	सुश्री बबीता वैरागी	पार्षद	वार्ड नं0 11, संजय नगर
13.	श्रीमती सीमा गुप्ता	पार्षद	वार्ड नं0 12, औद्योगिक क्षेत्र
14.	श्री जितेन्द्र यादव	पार्षद	वार्ड नं0 14, भदईपुरा
15.	श्री नाजिम अली	पार्षद	वार्ड नं0 15, पहाड़गंज
16.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	पार्षद	वार्ड नं0 16, बिगवाड़ा
17.	श्रीमती शालू पाल	पार्षद	वार्ड नं0 17, खेड़ा दक्षिणी
18.	सुश्री सायरा बानो	पार्षद	वार्ड नं0 18, खेड़ा मध्य
19.	मौ0 जाहिद	पार्षद	वार्ड नं0 20, भूतबंगला उत्तर–पूर्वी
20.	श्री अमित कुमार मिश्रा	पार्षद	वार्ड नं0 21, भूतबंगला पश्चिमी–दक्षिणी
21.	श्रीमती पुष्पा रानी	पार्षद	वार्ड नं0 22, रम्पुरा पूर्वी
22.	श्रीमती कमला देवी	पार्षद	वार्ड नं0 24, रम्पुरा पश्चिमी
23.	श्री सुशील कुमार यादव	पार्षद	वार्ड नं0 25, फाजलपुर महरौला
24.	श्रीमती रजनी रावत	पार्षद	वार्ड नं0 26, सीरगोटिया
25.	श्रीमती मधु शर्मा	पार्षद	वार्ड नं0 27, गांधी कालौनी
26.	श्रीमती दिव्या अनेजा	पार्षद	वार्ड नं0 28, मुख्य बाजार
27.	श्रीमती इलमा समरीन	पार्षद	वार्ड नं0 29, आदर्श कालोनी एसआरए
28.	श्री आयुष तनेजा	पार्षद	वार्ड नं0 30, डी1डी2
29.	श्रीमती सुनीता मुन्जाल	पार्षद	वार्ड नं0 31, एलायंस कालोनी
30.	श्री मोहन लाल खेड़ा	पार्षद	वार्ड नं0 32, भूरारानी
31.	श्री सुशील चौहान	पार्षद	वार्ड नं0 33, सिंह कालोनी
32.	श्री अम्बर सिंह	पार्षद	वार्ड नं0 34, इन्द्रा कालोनी
33.	श्रीमती श्यामली विश्वास	पार्षद	वार्ड नं0 35, आदर्श इन्द्रा कालोनी

Signature of Mayor

34.	श्री विरेन्द्र कुमार	पार्षद	वार्ड नं0 36, आदर्श कालोनी घास मण्डी
35.	श्रीमती रीना जग्गा	पार्षद	वार्ड नं0 38, आवास विकास पश्चिमी
36.	श्री रमेश कालड़ा	पार्षद	वार्ड नं0 39, आवास विकास पूर्वी
37.	श्री राजेश कुमार	पार्षद	वार्ड नं0 40, रिडकुल
38.	श्री धीरेश गुप्ता	नामित पार्षद	वार्ड नं0 2
39.	श्रीमती शालनी बोरा	नामित पार्षद	फुलसुंगा
40.	श्री अजय मौर्या	नामित पार्षद	वार्ड नं0 4
41.	श्री बलाई विश्वास	नामित पार्षद	वार्ड नं0 5

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तराखण्ड में विभिन्न संशोधनों सहित यथाप्रवृत्त) की धारा 90(3) के प्राविधानों के अन्तर्गत एजेण्डे के अनुसार बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई–

प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव	प्रस्ताव स्वीकृति विवरण
1.	पिछली कार्यवाही की पुष्टि/अनुमोदन पर विचार।	सहायक नगर आयुक्त द्वारा सदन के समक्ष पिछली बोर्ड बैठक की कार्यवाही को पढ़कर सुनाया गया तथा पारित प्रस्ताव के सापेक्ष कृत कार्यवाही से भी अवगत कराया गया, जिस पर सदन द्वारा पिछली बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि एवं अनुमोदन सर्वसम्मति से की गयी।
2.	ठेकेदार पंजीकरण/नवीनीकरण नियमावली मे आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त अन्तिम रूप से नियमावली 2021 की स्वीकृति पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। चर्चा में नवीन बोर्ड गठन के पश्चात कार्यो की अधिकता को देखते हुये पर्याप्त प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से वर्तमान परिपेक्ष्य में ठेकेदार पंजीकरण नियमावली 2008 में बोर्ड बैठक दिनांक 17.03.2013 के प्रस्ताव संख्या 04 व पत्रावली के नोटसीट/टीप दिनांक 17.08.2019 के अनुमोदन के क्रम में नवीन नियमावली के पारित होने अथवा गजट नोटिफिकेशन की प्रत्याशा में किये गये संशोधनो से सदन को अवगत कराया गया। विधिवत सुनवाई उपरान्त ठेकेदार पंजीकरण/नवीनीकरण नियमावली 2021 मे उपरोक्त समस्त संसोधनो को सम्मिलित करने पर बल देते हुये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
3.	कोविड–19 के संक्रमण से मृतकों की संख्या में वृद्वि के दृष्टिगत वार्ड नं0 13, दूधियानगर स्थित मुख्य शमशान घाट में शवदाह गृह की क्षमता कम होने कर स्थिति में अतिरिक्त शवदाह हेतु टीन शेड के निर्माण की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि कोविड–19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान दाह संस्कार हेतु दैनिक रूप से 30–35 कोविड–19 संक्रमित शव आ रहे थे, जिसके दृष्टिगत शासन द्वारा मुख्य शमशान घाटों में शवदाह गृह की क्षमता बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया है। कार्य की तात्कालिकता एवं जनहित में बोर्ड की प्रत्याशा में किये गये उक्त कार्य का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
4.	कोविड–19 की द्वितीय लहर में लाकडाउन अवधि (23.04.2021 से 31.07.2021 तक 100 दिन) में तहबाजारी व मुर्गा–मछली मीट विक्रय शुल्क स्थगित किये जाने तथा उस अवधि हेतु अधिकृत निविदादाताओं के ठेके में समयावृद्वि पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।

Signature of Mayor

5.	कर–निर्धारण/दाखिल खारिज प्रमाण पत्र को तत्काल (आवेदन करने की तिथि वाले दिन ही) जारी करने पर कर–निर्धारण/ दाखिल खारिज नकल शुल्क/ प्रमाण पत्र शुल्क रू 400.00 तथा सामान्य प्रकिया से रू0 200.00 किये जाने एवं पत्रावली निरीक्षण शुल्क रू0 100.00 प्रति घण्टा लगाये जाने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
6.	**स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में उत्कृष्ट प्रर्दशन हेतु एम0आई0एस0/ स्वच्छता सर्वे इत्यादि आउटर्सोस एजेन्सी के माध्यम से कराये जाने की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति पर विचार।**	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। चर्चा में नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि 2022 में होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर की रैकिंग में सुधार हेतु आवश्यक है कि सम्पूर्ण नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत स्वच्छता सर्वेक्षण का फीडबैक, एम0आई0एस0 फीडींग इत्यादि कार्य नगर निगम के कार्मिकों की कमी के दृष्टिगत आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से कराया जाना उचित होगा। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
7.	बडे नालो/नहर कवरिंग कराये जाने की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। चर्चा में नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि बड़े नालों की कवरिंग कराए जाने से कूड़े/पॉलीथीन के कारण नाले को चोक होने से बचाया जा सकता है। साथ ही नाले के ऊपर फुटपाथ, वेन्डिंग जोन इत्यादि का निर्माण कराया जा सकता है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
8.	अन्य प्रस्ताव अध्यक्ष/मा0 बोर्ड की अनुमति से।	
8(1).	नगर निगम द्वारा निर्मित ए0बी0सी0 सेन्टर में श्वानों के बद्दिया करण हेतु चिकित्सक व पैरामेडिकल टीम/ एजेन्सी आउटसोर्स किये जाने की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
8(2).	नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत आवारा छोड़े गए सुअरों के मालिकों पर जुर्माना लगाये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। चर्चा में बताया गया कि नगर निगम क्षेत्र में पालतु सुअरों को आवारा छोड़ दिया जाता है, जिस कारण शहर में गन्दगी फैलती है तथा बिमारियां होने का भय रहता है। अतः पालतु सुअरों को आवारा छोड़े जाने पर सुअर के मालिक से प्रति सुअर रू0 10,000.00 (दस हजार रूपये मात्र) जुर्माने के रूप में वसूला जाना आवश्यक है। प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हुआ।
8(3).	नगर निगम, रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत किच्छा रोड, एन0 एच0 74, मोहल्ला पहाड़गंज स्थित ट्रंचिंग ग्राउण्ड में एकत्रित लीगेसी वेस्ट के वैज्ञानिक ढंग से पृथक्कीकरण/निस्तारण करायें जाने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।

Signature of Mayor

8(4).	देवभूमि उत्तराखण्ड सफाई कर्मचारी संघ यूनियन द्वारा पर्यावरण मित्रों को कोविड–19 महामारी के दौरान कोरोना योद्धा के रूप में प्रोत्साहन धनराशि रू0 7,500.00 (सात हजार पाँच सौ रूपये मात्र) दिए जाने की वित्तीय स्वीकृति पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। चर्चा में सुझाव पेश किया गया कि पर्यावरण मित्रों के अतिरिक्त अन्य कार्मिकों द्वारा भी कोविड–19 महामारी में कार्य किया गया है, जिस क्रम में पर्यावरण मित्रों सहित नगर निगम के समस्त कार्मिकों को प्रोत्साहन धनराशि के रूप में रू0 7,500.00 (सात हजार पाँच सौ रूपये मात्र) के स्थान पर रू0 5,000.00 (पाँच हजार रूपये मात्र) दिया जाना उचित होगा। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
8(5).	किच्छा बाईपास रोड पर रोडवेज के समीप नगर निगम द्वारा आवन्टित खोखों को नही हटाने पर विचार।	श्री रमेश कालडा, मा0 पार्षद द्वारा सदन के समक्ष प्रस्ताव रखा गया कि किच्छा बाईपास रोड पर रोडवेज के समीप भूमि पर आई0एस0बी0टी0 बनाये जाने से वहा पर वर्षो से जीविकोपार्जन कर रहे आवन्टित खोखा व्यवसायियों को विस्थापित करने से उनके परिवार के जीवन यापन हेतु आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो जायेगी। नगर निगम द्वारा आवन्टित खोखों को खाली कराये जाने पर विस्थापित होने वाले व्यवसायियों को मुआवजा या किसी अन्य जगह पर भूमि अथवा दुकान दिया जाना उचित होगा तथा इस हेतु प्रशासन को पत्राचार किया जा सकता है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
8(6).	15 सामुदायिक केन्द्र / जनमिलन केन्द्र बनाए जाने हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। नगर निगम रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत 15 सामुदायिक केन्द्र की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
8(7).	इंदिरा चौक रूद्रपुर के निकट शौचालय बनाए जाने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। इंदिरा चौक से विभिन्न शहरों की ओर जाने हेतु आमजन को रूकना पड़ता है। उक्त स्थान पर सार्वजनिक शौचालय न होने की दशा में आमजन, विशेष रूप से महिलाओं को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
8(8).	वार्ड नं0–16 बिगवाडा में जल भराव के प्रबन्धन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार।	महापौर के द्वारा बिगवाडा में जल भराव से बचाव हेतु नाली / नाला निर्माण की आवश्यकता बताई गयी। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।

नोटः– उपरोक्त **स्वीकृत** प्रस्तावों में आने वाले **व्यय का वहन शासन द्वारा जारी** शासनादेशों, **धनावंटन** में दिये **गये निर्देशों तथा वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा, जिसके लिए नगर निगम रूद्रपुर के लेखा अनुभाग का दायित्व निर्धारित किया गया।**

बैठक के अन्त में मा0 महापौर एवं नगर आयुक्त द्वारा बोर्ड की बैठक में उपस्थित पार्षदगणों / सदस्यों / अधिकारियों / कर्मचारियों को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्ति की सहर्ष घोषणा की गई।

(रामपाल सिंह)
महापौर
नगर निगम, रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर